

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: प्रारूप - 6 ::

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के अन्तर्गत श्रीमती अरुण जैन प्राध्यापक अंग्रेजी राबाउमावि नं. 02, श्रीगंगानगर जन्मतिथि 30.12.1963 ने दिनांक 18.07.2020 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 21.11.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है।

श्रीमती अरुण जैन प्राध्यापक अंग्रेजी राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) अन्तर्गत 45 वर्ष की आयु एवं पन्द्रह वर्ष की अर्हकारी सेवाएँ पूर्ण करने संबंधी शर्त पूर्ण करती हैं। अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के प्रावधानान्तर्गत श्रीमती अरुण जैन प्राध्यापक अंग्रेजी राबाउमावि नं. 02, श्रीगंगानगर की दिनांक 21.11.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अरुण जैन के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।

५६
(सौरभ स्वामी)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संरथा/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/स्वै.से.नि./2015-16/2018/५६ दिनांक: ०६/१०/२०२० प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग,
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
4. सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर।
6. प्रधानाचार्य, राबाउमावि नं. 02, श्रीगंगानगर को भेजकर लेख है कि उक्त कार्मिक से ऑडिट संबंधित वसूली/अन्य वसूली यदि निवाली जावेगी तो सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्मिक की होगी, इनके विरुद्ध अन्य कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, का स्वयंहस्ताक्षरित शपथ-पत्र प्राप्त कर निर्धारित तिथि को सेवानिवृत्ति संबंधित कार्यवाही करें।
7. कार्मिक श्रीमती अरुण जैन (वरिष्ठता क्रमांक:-416/1992, व्या० पद पर डीपीसी चयन वर्ष-2015-16)
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/प्रभारी ओएसी प्रभाग, अनुभागों को सूचनार्थ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली

५६
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: प्रारूप - 6 ::

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र सिंह प्राध्यापक अंग्रेजी राजमार्ग परसरामपुरा, नवलगढ़, झुन्झुनूं जन्मतिथि 16.02.1963 ने दिनांक 24.08.2020 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 01.12.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है।

श्री सुरेन्द्र सिंह प्राध्यापक अंग्रेजी राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) अन्तर्गत 45 वर्ष की आयु एवं पन्द्रह वर्ष की अर्हकारी सेवाएँ पूर्ण करने संबंधी शर्त पूर्ण करते हैं। अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के प्रावधानान्तर्गत श्री सुरेन्द्र सिंह प्राध्यापक अंग्रेजी राजमार्ग परसरामपुरा, नवलगढ़, झुन्झुनूं की दिनांक 01.12.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र सिंह के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।

AB
(सौरभ स्वामी)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संरथा/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/स्वै.से.नि./2015-16/2018/576 दिनांक: 06/10/2020
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधार्यी निधी विभाग,
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
4. सिर्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पं.स. नवलगढ़, झुन्झुनूं।
6. प्रधानाचार्य, राजमार्ग परसरामपुरा, नवलगढ़, झुन्झुनूं को भेजकर लेख है कि उक्त कार्मिक से ऑडिट संबंधित वसूली/अन्य वसूली यदि निवाली जावेगी तो सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्मिक की होगी, इनके विरुद्ध अन्य कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, का रव्यंहरताक्षरित शपथ-पत्र प्राप्त कर निर्धारित तिथि को सेवानिवृत्ति संबंधित कार्यवाही करें।
7. कार्मिक श्री सुरेन्द्र सिंह (वरिष्ठता क्रमांक:-1961/1998-99, व्या० पद पर डीपीसी चयन वर्ष-2014-15)
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/प्रभारी ओएसी प्रभाग, अनुभागों को सूचनार्थ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर